



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072026-274398
CG-DL-E-11072026-274398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3633]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948

No. 3633]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3795(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (प्रशा0), जिला-वाराणसी को उत्तर-प्रदेश राज्य में नीचे दी गई अनुसूची में वाराणसी शहर की भीड़भाड़ कम करने के लिए वरुणा नदी के किनारे रिवरबैंक कनेक्टिविटी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (एनएच-31) और वाराणसी रिंग रोड के बीच लिंक/कनेक्टर कॉरिडोर के विकास के लिए विस्तृत परियोजना के डिजाईन चैनेज कि.मी. 0.000 से कि.मी. 19.420 कि.मी तक के भूखण्ड का निर्माण (दो/चार लेन का बनाने / चौड़ाकरने एवं बायपासों आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

वाराणसी शहर को जाम से मुक्त करने (डीकंजैस्ट) के लिए उत्तर प्रदेश में वरुण नदी के किनारे, राष्ट्रीय राजमार्ग-31 (NH-31) और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाले एक लिंक / कनेक्टर कॉरिडोर (चैनेज 0+000 से 19+420 किमी तक) का विकास।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अपर जिलाधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	सदर	1 जेलखाना

	(प्रशा0), वाराणसी	संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी 0 से कि.मी 19.42 तक				2	कैंटोनमेंट
--	----------------------	--	--	--	--	---	------------

[फा. सं. 11011/varanasi/ringroad/varuna/2026]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3795(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the Additional District Magistrate (E), Dist.-Varanasi, as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Design Chainage Km 0+000 to Km 19+420 of the National Highway Development of a Link/Connector Corridor connecting the National Highway-31 (NH-31) and Varanasi Ring Road along the River Varuna for Decongestion of Varanasi City for building (widening / two/four-Six laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of Uttar Pradesh (Varuna River Elevated Corridor) as specified in the Schedule given below.

SCHEDULE

Development of a Link / Connector Corridor connecting the National Highway-31 (NH-31) & Varanasi Ring Road, along the River Varuna (Ch. 0+000 to 19+420 km.) for Decongestion of Varanasi City in Uttar Pradesh.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	ADM(E), Varanasi	No Yet to be Assigned KM 0 TO KM 19.42	UTTAR PRADESH	VARANASI	Sadar	1 Jaikhana 2 Cantonment

[F. No. 11011/varanasi/ringroad/varuna/2026]

SHAIKH AMINKHAN, Director